

प्रथम / द्वितीय अपीलीय अधिकारी / पदाभिहित अधिकारी

नाम	पदनाम	प्रथम / द्वितीय अपीलीय अधिकारी / पदाभिहित अधिकारी		मोबाईल नं०
		प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	
श्री दलीप सिंह कुँवर	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	द्वितीय अपीलीय अधिकारी		9411112790
श्री रविन्द्र सिंह टोलिया	पुलिस उपाधीक्षक अल्मोड़ा	प्रथम अपीलीय अधिकारी		05962-232877
श्री कमल राम आर्या	पुलिस उपाधीक्षक रानीखेत	प्रथम अपीलीय अधिकारी		9456593373
श्री संजय विश्वाई	पुलिस उपाधीक्षक भिक्यारसैण	प्रथम अपीलीय अधिकारी		963417388
श्री उत्तम सिंह	प्रभासी निरीक्षक	पदाभिहित अधिकारी	कोतवाली अल्मोड़ा	9411112881
श्री संजय सिंह गार्वाल	प्रभासी निरीक्षक	पदाभिहित अधिकारी	कोतवाली रानीखेत	9411112882
श्री अशोक कुमार	शानाध्यक्ष	पदाभिहित अधिकारी	भतरौंजखान	9411112885
श्री चन्द्र मोहन सिंह	शानाध्यक्ष	पदाभिहित अधिकारी	खाराहाट	9411790644
श्री ठाकुर सिंह अधिकारी	शानाध्यक्ष	पदाभिहित अधिकारी	सरुट	9411112887
श्री जसवन्त सिंह	शानाध्यक्ष	पदाभिहित अधिकारी	लमवाड़ा	9411112883
श्री बिजेन्द्र शाह	शानाध्यक्ष	पदाभिहित अधिकारी		9412327464

		सोमेश्वर	
श्री श्याम सिंह	शानाध्यक्ष	पदाभिहित अधिकारी महिला शाना	9456593308
श्री धीरेन्द्र कुमार पन्त	शानाध्यक्ष	पदाभिहित अधिकारी चौखुटिया	9411112884
श्री रमेश बोरा	शानाध्यक्ष	पदाभिहित अधिकारी दनया	9456593306
श्री प्रलाद सिंह मेहरा	अग्निशमन अधिकारी	पदाभिहित अधिकारी फायर स्टेशन अल्मोडा	9411113416
श्री धन सिंह कुंवर	अग्निशमन अधिकारी	पदाभिहित अधिकारी फायर स्टेशन रानीखेत	9411113417

संज्ञा है

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय
जनपद अल्मोड़ा

सेवा में,


श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय
जनपद अल्मोड़ा

विषय-आरटी पत्रांक सेवा का अधिकार -विविध-2017 दिनांक 4/1/17 पुलिस विभाग के स्तर से
चिन्हित 16 सेवा के अधिकार में थाना हाजा से आवेदक को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रचलित
प्रारूपों की सूचना भेजने बाबत जबाब ।

महोदय ,

आपके पत्रांक उपरोक्त के जबाब के क्रम में अवगत कराना है कि थाना हाजा से चरित्र
सत्यापन हेतु आवेदक को दिया जाने वाला फार्म 0 संलग्न है । तथा एफ आई आर का प्रारूप
संलग्न है । सेवा सम्बन्धित में एमवीआर, पीवीआर, सीवीआर आदि में एक ही प्रारूप आवेदक को
दिया जाता है जो संलग्न है । महोदय शस्त्र लाइसेन्स , शस्त्र लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु पुलिस
द्वारा लगायी जाने वाली रिपोर्ट का प्रारूप भी संलग्न है महोदय अन्य कोई भी सेवा के
अधिकार हेतु प्रारूप नहीं है अन्य में सादे कागज पर सेवा के अधिकार हेतु रिपोर्ट लगायी जाती
है महोदय जबाब भय प्रारूप के सादर सेवा में प्रेषित है ।

महोदय जबाब सादर सेवा में प्रेषित है ।



प्रमाण - साक्षर
दिनांक - 7/1/17

Recd
Pr
7/1/17

VR- /2016

प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष

आपके पास सत्यापन प्रपत्र इस निर्देश से प्रेषित किया जा रहा है कि इसकी जाँच कर अपनी सुस्पष्ट आख्या 03 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कृते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
अल्मोड़ा।

थाने का नाम:-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री

निवासी ग्राम

पो0ऑ0

तहसील/थाना

जनपद अल्मोड़ा के विरुद्ध स्थानीय पुलिस अभिलेखों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि का अंकन होना नहीं पाया गया है।

VR-No- /2016

DATE- - -2016

जाँचकर्ता के समुहर हस्ताक्षर,
नाम व पद

प्रभारी निरीक्षक एल0आई0यू0/एल0आई0यू0 यूनिट अल्मोड़ा जाँच कर
आख्या देना सुनिश्चित करें।

जाँचकर्ता के समुहर हस्ताक्षर
नाम व पद

मूल / द्वितीय / तृतीय प्रतिलिपि

पुलिस प्रपत्र क्रमांक 1591

न्यायालय / सीडी / कार्यालय के लिए

सूचना संख्या

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

231593

पुलिस प्रपत्र

दण्ड तिथि-संग्रह को धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्ताक्षर किया जाने वाला अपराध की प्रथम सूचना

डिस्ट्रिक्ट _____

घटना का दिनांक व समय _____

क व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से गंजे जाने का दिन

प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखना वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

द देने वाले या का नाम व पता-स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	घारा सहित अपराध वाले जारी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मूलरूप का परिणाम
1	2	3	4	5

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर _____

पद _____

ना देने वाले या हस्ताक्षर या निशानी अभिज्ञ रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट
(पुलिस विभाग द्वारा भरा जाएगा)

1	आवेदक का नाम		
2	पिता/पति-बहन का नाम		
3	वर्तमान पता		
	वर्तमान पता का नजदीक पुलिस थाना		
4	क्या आवेदन कभी दोषमित्र हुआ है?	हाँ	नहीं
(क)	यदि हाँ, अपराध, दंडादेश और दंडादेश की तारीख		
(ख)	शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) के अध्याय 7 के अधीन बंधन पत्र के निष्पादन का आयोजन किया गया है।	हाँ	नहीं
	यदि हाँ, तो कब और उसकी अवधि क्या है ?		
(ग)	किसी अपराध या गौलवाशक उसके पास या ले जाने में अर्जन किए जाने से आयुध अधिनियम, 1959 या किसी अन्य विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है।		
	यदि हाँ, तो कब और उसकी अवधि क्या है ?		
5	क्या आवेदक कब किसी से चतुःपक्षी या अगड़ा है जिससे शांति भंग होने की संभावना है? यदि हाँ, व्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
6	क्या आवेदक कब पता और अन्य तारीख का सत्यापन किया गया है? व्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
7	क्या आवेदक का व्यवसाय/कारखाने का सत्यापन किया गया है? व्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
8	क्या पुलिस थाने में आवेदक के विरुद्ध कोई शिकायत रजिस्टर्ड है?	हाँ	नहीं
	यदि हाँ, व्यौरा दीजिए।		
9	क्या आवेदक किसी अपराध में संलिप्त रहा है?	हाँ	नहीं
	यदि हाँ, व्यौरा दीजिए।		
10	क्या आवेदक किसी अपराध में विफल हुआ था?	हाँ	नहीं
	यदि हाँ, व्यौरा दीजिए।		
11	क्या आवेदक का नाम पुलिस थाने या तत्काल विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार में पंजीकृत है?	हाँ	नहीं
	यदि हाँ, पुलिस थाने के अभिलेख में अनुसूचित व्यौरा दीजिए।		
12	क्या आवेदक का नाम भारत सरकार के अन्य विभाग जैसे-सीवीआई, स्थापक नियंत्रण ब्यूरो, डीआरआई, प्रवर्तन निदेशालय आदि द्वारा किसी मामले में रजिस्टर्ड किया गया है जिसमें पुलिस थाने के अधिक डायरी रजिस्ट्रार, समन वारंट आदि में वर्णित नाम प्राप्त है?	हाँ	नहीं
	यदि हाँ, व्यौरा दीजिए।		
13	क्या आवेदक ने पुलिस थाने में पता से गारने की धमकी के संबंध में कोई शिकायत रजिस्टर्ड कराई है?	हाँ	नहीं
	यदि हाँ, व्यौरा दीजिए।		
14	किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन जिसमें आवेदक सम्मिलित है? व्यौरा		

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदक द्वारा जमा किए गए आयुध अनुज्ञापन दान करने के लिए आवेदन पत्र की विषय वस्तुओं का चेक कर लिया है।
तारीख

सोहर

इस अधिकारी
या तो प्रभारी
पुलिस थाना

संख्या-एलआईयू/लो0सू0-एम0एस0-14/2017

कार्यालय स्थानीय अभिसूचना इकाई
अल्मोड़ा

दिनांक- 05.01.2017

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
अल्मोड़ा।


कृपया आप अपने पत्र संख्या सेवा का अधिकार-विविध/2017 दिनांक 04.01.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो सेवा का अधिकार, के अन्तर्गत चिन्हित सेवाओं के संदर्भ में निर्धारित प्रारूप एवं सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित मानक सहित आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त संदर्भ में इस कार्यालय से सम्बन्धित वांछित सूचना निम्नवत् है-

क्र०सं०	चिह्नित सेवा	सेवा प्राप्त हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप/विवरण	सम्बन्धित सेवा के हेतु आवश्यक अभिलेख
1	विदेशियों की वासवृद्धि	इस कार्यालय में पंजीकृत विदेशी राष्ट्रीय को प्राप्त वीजा के आधार पर वासवृद्धि की जाती है। इस हेतु विदेशी नागरिक को भारत सरकार द्वारा संचालित आईवीएफआरटी योजना के अन्तर्गत http://indianfro.gov.in/fro/ लिंक पर जाकर ऑनलाईन आवेदन करना होगा एवं भरे हुए आवेदन की प्रति स्वयं उक्त लिंक से प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र इस कार्यालय से सम्बन्धित को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं।	गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सम्बन्धित व्यक्ति से वैध पारपत्र एवं वीजा, निवास का प्रमाण पत्र, फार्म सी/एस, वीजा अवधि को बढ़ाने के कारण से सम्बन्धित अभिलेख (यथा वीनाफाईड प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि), मेडिकल प्रमाण पत्र (मेडिकल वीजा मेडिकल अटेंडेन्ट वीजा हेतु) छायाचित्र एवं वीजा के प्रकार एवं अवधि के अनुसार निर्धारित शुल्क का चालान (भारत सरकार के नाम पर) आदि प्राप्त कर सेवा दी जाती है।

2	विदेशियों का पंजीकरण	भारत में 180 दिन से अधिक अवधि तक लगातार निवास करने वाले विदेशी राष्ट्रियों (पर्यटक वीजा पर आये विदेशियों को छोड़कर) को जनपद आगमन से 14 दिवस के अन्तर्गत इस कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिस हेतु विदेशी नागरिक को भारत सरकार द्वारा संचालित आईवीएफआरटी योजना के अन्तर्गत http://indianfrro.gov.in/frro/ लिंक पर जाकर ऑनलाईन आवेदन करना होगा एवं भरे हुए आवेदन की प्रति स्वयं उक्त लिंक से प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र इस कार्यालय से सम्बन्धित को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं।	गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सम्बन्धित व्यक्ति से वैध पारपत्र एवं वीजा, निवास का प्रमाण पत्र, फार्म-सी/एस, मेडिकल प्रमाण पत्र (मेडिकल वीजा मेडिकल अटेंडेन्ट वीजा हेतु) छायाचित्र प्राप्त कर सेवा दी जाती है। यह सेवा विदेशी अधिनियम 1939 के प्राविधानों एवं संशोधनों के अन्तर्गत दी जाती है।
3	पारपत्र आवेदन जांच	भारतीय नागरिक द्वारा भारतीय पासपोर्ट सेवा केन्द्र की वेबसाईट पर जाकर ऑनलाईन आवेदन एवं शुल्क जमा करना होगा। सम्बन्धित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय से आवेदक के सत्यापन हेतु जांच इस कार्यालय को प्राप्त होती है। जांच आख्या संलग्न प्रारूपानुसार सम्बन्धित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय को ऑनलाईन/मैनुअल दोनों रूपों में प्रेषित की जाती है।	पारपत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय द्वारा जारी अथवा अस्वीकार किये जाते हैं। इस कार्यालय द्वारा संलग्न प्रारूपानुसार पारपत्र आवेदनों की जांच की जाती है, जिस हेतु आवेदक से फोटो, निवास/जन्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), शैक्षिक योग्यता के अभिलेख प्राप्त किये जाते हैं।

संलग्न:-यथोपरि (1वर्क)


निरीक्षक,
स्थानीय अभिसूचना इकाई
अल्मोड़ा।

VR/2017/CA/1

VR

2017

प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष

आपके पास सत्यापन प्रयत्न इस निर्देश से प्रेरित किया जा रहा है कि आप को अपने कार अगली सुस्पष्ट आख्या 03 दिखाने के अन्दर इस कार/कागजात को सुरक्षित रखना चाहिए।

जनपद अल्मोड़ा के
विस्तृत स्थानीय पुलिस अभिलेखों में

थाने का नाम:-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु
मुत्र/भती/पुत्री श्री
पा0आ0.

जिला अल्मोड़ा
तहसील / थाना

जनपद अल्मोड़ा के विस्तृत स्थानीय पुलिस अभिलेखों में कोई पंजीकृत प्रमाण का उल्लेख होना नहीं पाया गया है।

VR-No- /2017

DATE- -2017

जांचकर्ता के समक्ष उपस्थित
नाम व पद

प्रभारी निरीक्षक एल0आई0यू0 / एल0आई0यू0 यूनिट
आख्या देना सुनिश्चित करें।

अलगपट्टा

जांचकर्ता के समक्ष उपस्थित
नाम व पद

पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
पोस्ट

निवासी ग्राम

जनपद अल्मोड़ा का जॉब थाना

एवं अभिसूचना इकाई जनपद अल्मोड़ा द्वारा करायी गयी ता उचर के निष्पत्ति
जनपद अल्मोड़ा के पुलिस अभिलेखों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि का अंकन
नहीं पाया गया है।

पत्रांक- वी०आर० - /2017

दिनांक - - - 2017

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
अल्मोड़ा

पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
पोस्ट

निवासी ग्राम

जनपद अल्मोड़ा का जॉब थाना

एवं अभिसूचना इकाई जनपद अल्मोड़ा द्वारा करायी गयी ता उचर के निष्पत्ति
जनपद अल्मोड़ा के पुलिस अभिलेखों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि का अंकन
नहीं पाया गया है।

पत्रांक- वी०आर० - /2017

दिनांक - - - 2017

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
अल्मोड़ा

(1) चरित्त सख्यापन हेतु खालीपुर्त करून देणे पुरविलेले Document कोणते आहे -

- (A) अर्थापना पत्र
- (B) पहिले अर्थापना पत्र - अर्थापन नसत, अर्थापन करून घ्यावे
- (C) दोनरी - कल्प - २ - २०००
अर्थापना -

(2) सुल्लेख अर्थापन अर्थापना पत्र देणे से पूर्व जीव आरम्भ -

- (A) शब्दावली घेणे नही
- (B) अर्थापना शब्दावली

(3) सुल्लेख अर्थापन अर्थापना पत्र न देणे का कारण -

- (A) आदी कसिती न्यायालय ने काय लागविले नसत रहा को
- (B)

पृ. 2/3

संख्या: / 2007-2 / 18 / 53 / सुरक्षा / 2007

प्रमाण

अध्यक्ष सैतेला,
अपर सचिव/नियंत्रक प्राधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तराखण्ड।

गुड अनुभास-2

विषय: निजी सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु निर्धारित शुल्क के संबंध में।
दिनांक: देहरादून, विनांक: 18 मई, 2010

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहते हुए निदेश हुआ है कि निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य की आदर्श नियमावली, 2009 के नियम-4(4) के अन्तर्गत निजी सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु निम्न शुल्क निर्धारित किया जाता है-

- (क) सुरक्षा गार्डों व पर्यवेक्षकों का उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी होने की स्थिति में, प्रति उम्मीदवार फीस 250/- रुपये।
- (ख) सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों का अन्य राज्य का निवासी होने की स्थिति में प्रति उम्मीदवार फीस 500/- रुपये।

उक्त फीस प्रत्येक निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा आवेदन प्रारूप दो (सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु प्रारूप) के साथ ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा की जाएगी।

भवदीय,

(अध्यक्ष सैतेला)

अपर सचिव/नियंत्रक प्राधिकारी

पुस्तक संख्या: / 2007 (1) / 22-2 / 18 / 53 / सुरक्षा / 2007, तदुद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अध्यक्ष सैतेला)

अपर सचिव/नियंत्रक प्राधिकारी

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
अल्मोड़ा।

महोदय

कृपया आपके आर0जी0 पत्र संख्या-सेवा का अधिकार-विविध-2017, दिनांक जनवरी 04, 2017, के अनुपालन में फायर स्टेशन अल्मोड़ा से 16 बिन्दुओं की सेवाओं में आवेदक को बिन्दु संख्या 16- अनापत्ति प्रमाण पत्र पेट्रोल पम्प/सिनेमा हाल के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रचलित प्रारूप निम्नवत् है।

1-आवेदक का नाम पता।

2-सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया है।

सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित मानक:-

1-पेट्रोल पम्प-पेट्रोलियम एक्ट IS 2190 के अन्तर्गत दिये गये प्रविधानों के अनुसार प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्था किये जाने के उपरान्त ही फर्म की अनापत्ति प्रमाण पत्र की संस्तुति की जाती है।

2-सिनेमा हाल-सिने मेटो ग्राफी रूल्स 1951 के अन्तर्गत दिये प्रविधानों के अनुसार प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्था किये जाने के उपरान्त ही अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र की संस्तुति की जाती है।

अतः रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

पत्रांक:-से0310/FSALM/2017

दिनांक:-जनवरी 05, 2017

UCD
पदाभिहित अधिकारी
अग्निशमन अधिकारी
अल्मोड़ा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद अल्मोड़ा।

कृपया रेडियोग्राम पत्रांक संख्या: सेवा का अधिकार-विविध/2016. दिनांक 4.11.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस विभाग से सम्बन्धित सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु प्रचलित प्रारूप, निर्धारित मानक का विवरण उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय से सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस के विरुद्ध प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का प्रारूप संलग्न कर भेजा जा रहा है। अब तक सेवा के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचना शून्य है।

रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

पत्रांक- सीओ-आरकेटी-से0 अधि0/2017
दिनांक- जनवरी 5, 2017

पुलिस अधीक्षक
रानीखेत

जांच का प्रारूप

- 1- आवेदक का नाम पता मो० न०-
- 2- विपक्षी का नाम पता
- 3- शिकायत प्रा० पत्र प्राप्ति का दिनांक-
- 4- शिकायती प्रा० पत्र का स्रोत-
- 5- आरोप-
- 6- सम्बन्धितों के बयान-
- 7- अभिलेखीय साक्ष्य-
- 8- विश्लेषण जांच-
- 9- निष्कर्ष-

संसाधन एवं अधिकार अधिनियम-2011 के अन्तर्गत निर्धारित कार्य/परामर्शित अधिकारी/सहायक/प्रधान/द्वितीय अपीलेट अधिकारियों के परामर्शों का निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है।

S.NO	SERVICE	DESIGNATED OFFICER	STIPULATED TIME OF PROVIDING THE SERVICE	FIRST APPELLATE AUTHORITY	SECOND APPELLATE AUTHORITY
1	वैधानिक की सेवा प्रदाता	महोदय, परामर्श अधिकारी/प्रधान	07 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक
2	उपरोक्त सेवा प्रदाता का सहायक	निरीक्षक, स्थानीय अधिकारी/प्रधान	07 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक
3	व्यक्तिगत मामलों के अधिकारी/प्रधान	प्रधान	07 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक
4	प्रधान पुलिस ऑफिसर का सहायक	प्रधान	07 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक
5	सांख्यिकीय प्रभाग की अधिकारी/प्रधान	अधीक्षक	05 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक
6	सहायक प्रमुख प्रमुख अधिकारी/प्रधान	अधीक्षक	30 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक
7	प्रधान अधिकारी/प्रधान	निरीक्षक, स्थानीय अधिकारी/प्रधान	21 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक
8	अधीक्षक/प्रधान	अधीक्षक	30 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक
9	प्रधान के निरीक्षक प्रमुख अधिकारी/प्रधान	क्षेत्रीयकारी	30 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक
10	अधीक्षक/प्रधान	अधीक्षक	15 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक
11	अधीक्षक/प्रधान	अधीक्षक	07 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक
12	अधीक्षक/प्रधान	अधीक्षक	06 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक
13	अधीक्षक/प्रधान	अधीक्षक	30 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक
14	अधीक्षक/प्रधान	अधीक्षक	15 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक
15	अधीक्षक/प्रधान	अधीक्षक	15 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक
16	अधीक्षक/प्रधान	अधीक्षक	15 दिवस	क्षेत्रीयकारी	पुलिस अधीक्षक